

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 664]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 15, शक 1939

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ. 1-35-2014-बयालीस-(1).—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 नवम्बर 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) की धारा 43 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, तकनीकी शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) के भरती नियम, 2004 के संशोधन संबंधी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-11(क) के बिन्दु “चार” के स्थान पर “ख” पढ़ा जाये तथा बिन्दु “पांच” के स्थान पर “ग” पढ़ा जाये एवं बिन्दु क्रमांक-11(ख) के स्थान पर “घ” पढ़ा जावे। एवं अंग्रेजी अधिसूचना के भाग में बिन्दु क्रमांक-11(A) के बिन्दु-IV के स्थान (B) एवं (V) के स्थान पर (C) तथा बिन्दु क्रमांक-11(B) के स्थान पर (D) पढ़ा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सभाजीत यादव, उपसचिव,